M-5

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को सांय 6:15 बजे कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

.....

1. Infection, prevention हेतु आकस्मिक एवं बाह्य रोगी तथा कोविड–19 के संभावित संक्रमण से संबन्धित व्यक्तियों को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित प्रोटोकाल से संबन्धित प्रशिक्षण के संबन्ध में अवगत कराया गया कि समस्त चिकित्सकों को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टेक्नीकल सपोर्ट यूनिट, एन.एच.एम. उ0प्र0 द्वारा दूरसंचार तकनीकी के प्रयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस आनलाईन प्रशिक्षण में 1000 प्रशिक्षार्थियों की संख्या पूर्ण होने के कारण अन्य लागइन नहीं हो सके। यह भी अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण अवधि में आनलाइन जिज्ञासाओं का उत्तर स्टेट सर्विलांस अधिकारी द्वारा तत्समय आनलाइन दिया गया। इस संबन्ध में निर्देशित किया गया कि समस्त जिज्ञासांओं को सम्मिलित करते हुए एफ0ए0क्यू0 तैयार कर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किया जाय एवं अन्य प्रदेशों से भी साझा किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि अगला प्रशिक्षण एफ0ए0क्यू0 अपलोड करने उपरान्त तत्काल आयोजित किया जाय।

भाग

(कार्यवाहीः अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0)

2. आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आयोग्य योजना से आच्छादित कोविड–19 रोगी के उपचार का भुगतान योजनान्तर्गत किया जायेगा से संबन्धित भारत सरकार के अद्यतन आदेश पर चर्चा हुई। इस संबन्ध में चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि जो व्यक्ति कोविड–19 से ग्रसित है तथा ए0वी0पी0एम0जे0ए0वाई0 से आच्छादित नहीं है के संबन्ध में भुगतान की स्थिति ज्ञात करने हेतु मुख्य कार्यपाल अधिकारी, ए0वी0पी0एम0जे0ए0वाई0, भारत सरकार को ई–मेल भेज कर जानकारी प्राप्त की जाय। यह भी ज्ञात कर लिया जाय कि influenza-like illness (ILI) and severe acute respiratory infections (SARI) को आच्छादित किया जायेगा या नहीं।

कार्यवाहीः मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।

3. जिन निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को कोविड–19 अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संबन्ध में पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। प्रस्ताव में यह ध्यान दिया जाय कि निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को जिनकों कोविड–19 अंतर्गत एल2 में चिन्हिकरण किया जा रहा है में 100 बेड के साथ कम से कम पॉच वेन्टीलेटर की उपलब्धता अवश्य हो।

कार्यवाहीः मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।

4. टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रदेश के दो चिकित्सालयों को अंगिकृत किये जाने की पेशकश की गयी है। इस संबन्ध में विस्तृत चर्चा उपरान्त सहमति हुई कि सेक्टर–39 नोयडा में स्थित 250 बेड चिकित्सालय एवं जनपद गोंडा में स्थित 150 बेड चिकित्सालय के आधुनिकीकरण हेतु चिन्हित किया जाय एवं तद्नुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।

5. प्रदेश में वी0टी0एम0 की अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबन्ध में अवगत कराया गया कि 3200 वी0टी0एम0 उपलब्ध हैं, 10000 (डबल स्वैब) ट्रांजिट में हैं। यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एन0आई0बी0) द्वारा मेरठ एवं गौतमबुद्ध नगर में शेष सैम्पल का परीक्षण किया जायेगा जिसकी संख्या लगभग 500 प्रतिदिन होगी। इसी के साथ सी0बी0नाट द्वारा भी 300 परीक्षण हो सकेगें। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 20 अप्रैल, 2020 उपरान्त वी0टी0एम0 की एटलिव

उपलब्धता रहेगी। बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन लगभग 3000 वी0टी0एम0 की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाय जिससे परीक्षण की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही साथ फील्ड में किस जनपद में कितनी संख्या में वी0टी0एम0 उपलब्ध हैं कि जानकारी प्रतिदिन प्राप्त की जाय।

कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0

6. पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता एवं वितरण के संबन्ध में अवगत कराया गया कि 12148 पी0पी0ई0 किट हैं जिनका आवंटन कर दिया गया है। हिमोडायलियिस से जुड़ें कार्मिकों को भी पी0पी0ई0 किट दिए जाने हेतु सी0एम0एस0 को निर्देर्शित किया जाय। मेडिकल कॉलेज को भी पी0पी0ई0 किट दिया जाना है। प्रदेश में कहीं पी0पी0ई0 किट की प्राबलम न हो पर ध्यान दिया जाना है।

कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0

7. बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक एल1 कोविड–19 चिन्हित चिकित्सालय पर कम से कम 15 सिलेण्डर की व्यवस्था कराया जाय ताकि 5 क्रियाशील रहे, 05 रिजर्व रहे तथा 05 फीलिंग हेतु हों।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।

8. प्रदेश में निगरानी हेतु जनपदवार टीम का गठन एवं किए गये हाउसहोल्ड सर्वे की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक अधिकारी को नामित करेगें जो प्रतिदिन की सूचना प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएगें। किस जनपद में कितनी संख्या में टीम का गठन हुआ है तथा उक्त दलों द्वारा कितनी संख्या में परिवारों का सर्वेक्षण किया गया की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाय। कोविड–19 से प्रभावित जनपदों में यह अभियान के रूप में संचालित कराया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि आवश्यकता अनुरूप मानव संसाधन की भी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त मोबाईल मेडिकल यूनिट का उपयोग भी लिया जाय तथा वर्लनरेबल ग्रूप तक पहुँच बनायी जाय।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0/निदेशक, संचारी रोग/स्टेट सर्विलांस अधिकारी

9. प्रत्येक जनपद में बुथनुमा एक कलेक्शन सेण्टर की स्थापना की जाय तथा प्रत्येक राजकीय एल2 चिकित्सालयों में आक्सीजन जनरेटर की स्थापना सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाहीः राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी

10. क्वारेन्टाईन एवं आईसोलेशन केन्द्रों में रखे गये व्यक्तियों के संबन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाय कि अमुक व्यक्ति/रोगी को क्या चिकित्सीय सेवा/सुविधा प्राप्त हो रही है। यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसका निराकरण भी तत्काल कराया जाय। क्या रोगियों के सापेक्ष निर्धारित प्रोटोकाल का पालन ग्राउण्ड स्तर पर किया जा रहा है? जनपदों हेतु नामित नोडल अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाहीः निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0।

11. बैठक में अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद को अनटाइड फण्ड की उपलब्धता करा दी गयी है जिससे वे आवश्यकतानुसार पल्सआक्सीमीटर, सिलेण्डर, निबूलाइजर आदि की व्यवस्था कर सकेगें।

बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर एवं हाइड्रक्सीक्यूनोलीन की व्यवस्था यू0पी0एम0एस0सी0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यवाहीः निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0

12. क्वारेन्टाईन केन्द्रों पर आयुष चिकित्सकों एवं संबन्धित स्टाफ की तैनाती करायी जाय। इस हेतु आयुष विभाग से चिकित्सकों एवं अन्य सहयोगी स्टाफ की सूची उपलब्ध करायी गयी जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी है। बैठक में निर्देशित किया गया कि निदेशक, संचारी रोग प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराए।

कार्यवाहीः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0/निदेशक, संचारी रोग

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या– 860 पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः17 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. विशेष सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेशं शासन।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
8. निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0।
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।
13. स्टेट सर्विलान्स अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. स्टेट क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।

आज्ञा से,
17/4/2020
(शतुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव